



पत्रांक : कु0रा0-सम्बद्धता/06/042/(रागव0.अ.न.)/2013.

दिनांक: 02 जुलाई, 2013

सेवा में,

प्रबन्धक,
मौ गतुरनी देवी महाविद्यालय,
चन्दाडीह,
बलिया।

विषय :-महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उ0प्र0 शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-6 के पत्रांक-सम्ब0 305/सत्तर-6-2012-2(250)/2012, दिनांक 12 सितम्बर 2012 के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा 37(2) के अधीन प्राप्त सम्बद्धता विस्तारण की पूर्वानुगति पर विचारोपरान्त शैक्षिक सत्र 2011-12 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने के फलरूप विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 13.2.2013 के विन्दु सं0 07 पर लिये गये निर्णय के अन्तर्गत मौ मतुरनी देवी महाविद्यालय, चन्दाडीह, बलिया को रनातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल एवं शिक्षाशास्त्र में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2012 से सम्बद्धता की अनुमति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था/महाविद्यालय के लिए शासन द्वारा निर्गत पत्र में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. संस्था शासनादेश संख्या 2851/सत्तर 2 2003 16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मांगों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(एस0एल0मौय)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. माननीय कुलपति जी - सूचनार्थ।
2. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग -6, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

प्रबन्धक
मौ गतुरनी देवी महाविद्यालय
चन्दाडीह जि0बलिया (बलिया)

(एस0एल0मौय)
कुलसचिव